

दिनांक
11.04/19

आदेश

अभ्युक्ति

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्री प्रेमराज देवगम, पिता- स्व० चैतन देवगम, निवासी ग्राम- मतकमहातु, थाना- मुपफसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- तमाडबाँध, थाना नं०- 125, के अन्दर खाता नं०- 155, प्लॉट नं०- 586, रकवा- 0.07½ एकड़ भूमि क्रेता श्री संजय कुमार पुरती, पिता- दिलदार पुरती, ग्राम- तुईबीर, थाना- मुपफसिल चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक भूमि खतियान में आवेदक के दादा के नाम पर दर्ज है। पिता एवं दादा के मृत्यु के पश्चात अपने हिस्से की भूमि है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-111, दिनांक- 06.2.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता, श्री संजय कुमार पुरती, पिता- दिलदार पुरती, ग्राम- तुईबीर, थाना- मुपफसिल चाईबासा के पास 8,32,500.00/- (आठ लाख बत्तीस हजार पांच सौ) में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुपफसिल थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.40 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पत्ति समुचित है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता श्री प्रेमराज देवगम, पिता- स्व० चैतन देवगम, निवासी ग्राम- मतकमहातु, थाना- मुपफसिल, क्रेता श्री संजय कुमार पुरती, पिता- दिलदार पुरती, ग्राम- तुईबीर, थाना- मुपफसिल चाईबासा के पास जमीन को कुल 8,32,500.00/- (आठ लाख बत्तीस हजार पांच सौ) में मौजा तमाडबाँध, थाना नं०- 125, के अन्दर खाता नं०- 155, प्लॉट नं०- 586, रकवा- 0.07½ एकड़, जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

लेखापित


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।